न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00358 **दायरा दिनांक : 03.09.2018**

उनवान

माणक चन्द आयु 68 साल पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. रामबल उर्फ रामलाल पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. रामरतन पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. कालू लाल पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
4. हरिमोहन पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति मीणा, निवासी दिलोद, तहसील छबडा मजरा भैरूपुरा, पो0 सोनी दिलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
5. रामस्वरूप पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति मीणा, निवासी दिलोद, तहसील छबडा मजरा भैरूपुरा, पो0 सोनी दिलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
6. हरनारायण पुत्र श्री नाथूलाल, जाति मीना, निवासी दिलोद, तहसील छबडा मजरा भैरूपुरा, पो0 सोनी दिलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
7. कमला बेवा श्री चुतुर्भज, जाति मीणा, हाल निवासी साल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0) पो0 छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरिविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 139/2012 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल फत्तुखेड़ी, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 50 की खसरा नं. 317 रकबा 1.48 हेक्टर आराजी वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

29.06.2018 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा एक वाद पत्रत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.टी. एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय उप जिता कलेक्टर अटरू मे पेश कर निवेदन किया था कि जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार वाके ग्राम माल फत्तूखेडी तहसील अटरू जिला बारां मं खाता संख्या 50 की खसरा 317 की रकबा 1.48 हेक्टर अपीलान्ट रेस्पोडेंट नं. 1 ता 7 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। जिसमें अपीलान्ट का 1/2 का 1/4 यानि कुल का 1/8 हिस्सा है व इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार वाके ग्राम फल्तूखेडी तहसील अटरू में खाता सं. 78 की खसरा नं. 320 की रकबा 0.64 हेक्टर स्थित है जिसमे अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है। जमाबन्दी 2066 से 2071 के अनुसार वाके ग्राम व माल दिलोद हाथी तहसील अटरू की खाता संख्या 350 की खसरा नं० 1329 की रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 1330 की रकबा 2.59 हेक्टर, खसरा सं० 1351/2093 की रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 1332 की रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नं. 1355 की रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 1337 की रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 1339 की रकबा 0.16 हेक्टर कुल 7 किता की रकबा 3.79 हेक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 346 की खसरा नं. 1210 की रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं. 1211 की रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 1245 की रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 1252 की रकबा 0.37 हेक्टर खसरा नं. 1298 की रकबा 1.04 हेक्टर कुल 5 किता की रकबा 0.40 हेक्टर स्थित है, जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा निहित है। तथा इसी प्रकार खाता संख्या 345 की खसरा नं. 1208 की रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नं. 1248 की रकबा 0.29 हेक्टर कुल दो किता की रकबा 0.41 हेक्टर जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा है। जमाबन्दी सं. 2067 से 2070 के अनुसार वाके ग्राम माल पटना, तहसील अटरू में खाता सं. 264 की खसरा नं. 814 की रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 1110 की रकबा 0.33 हेक्टर खसरा नं. 1111 की रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 1112 की रकबा 0.63 हेक्टर, खसरा नं० 1113 की रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 1114 की रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नं. 1115 की रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 1116 की रकबा 0.29 हेक्टर कुल 8 किता की रकबा 1.86 हेक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा है।

उपरोक्त आराजियात सम्पूर्ण में से खाता संख्या 350 की कुल 7 किता की रकबा 3.79 हेक्टर एवं खाता सं. 345 की कुल दो किता की रकबा 0.41 हेक्टर में कुल 4.20 हेक्टर के 1/2 हिस्से पर अपीलांट बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त करता चला रहा था। यह बाहमी बंटवारा आज से करीबन 25 वर्षों पूर्व हुआ था। जो अपीलान्ट रेस्पो. क्रमांक 1 ता 7 के बीच हो गया था। जिस पर अपीलान्ट ने उक्त आराजियात अपने मकान निर्माण करवाया है तथा अपीलान्ट तथा अपीलांट मय परिवार उक्त मकान में निवास करता चला आ रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने कब्जे व हिस्से अनुसार कब्जे वाली जमीन को पृथक से खाता दर्ज करवाने हेतु अपने वकील साहब को बताया था। किन्तु वकील साहब द्वारा वाद पत्र उक्त जाराजियात सम्पूर्ण आराजियात में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी की मांग वाद पत्र की जा कर प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर राजस्व अभियान केम्प दीलोद हाथी में उक्त वाद पत्र का दिनांक 29.06.2018 को निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट को ग्राम फत्तूखेडी की खसरा नं. 317 की रकबा 0.18 हेक्टर खसरा नं. 320 की रकबा 0.16 है. तथा इसी ग्राम पटना की खसरा नं. 513 की रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं.520 की रकबा 0.14 हेक्टर कुल दो किता की रकबा 0.23 हेक्टर व ग्राम हाथी दिलोद की खसरा नं. 1210 की रकबा 0.05 हेक्टर खसरा नं. 1211 की रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 1245 की रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 1252 की रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 1298 की रकबा 0.13 हेक्टर कुल 5 किता की रकबा 0.30

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेक्टर तथा इसी प्रकार खसरा नं० 1330 की रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नं० 1331/2043 की रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 1332 की रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नं. 1335 की रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 1337 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं० 1339 की रकबा 0.04 हेक्टर कुल 6 किता की रकबा 0.094 हेक्टर व इसी प्रकार खसरा नं. 1329 की रकबा 0.01 हेक्टर में अपीलान्ट व रेस्पो. क्रम 1 ता 3 का शामलाती खातेदारी रहेगा। क्योंकि उक्त आराजियात में पूर्व का पुराना पैत्रिक कुआ है। अपीलान्ट को बंटवारा में देते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 अपीलान्ट की सहमति बताते हुये पारित किया गया है जबकि अपीलांट अनपढ़ है और अपीलान्ट ने इस बाबत कोई सहमति नहीं दी है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व पत्रावली पर आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इन बातों की ओर भी ध्यान नहीं देकर अपना निर्णय पारित किया है। क्योंकि रेस्पों क्रमांक 1 ता 3 अपीलान्ट के भाइयों के खिलाफ एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार से सहमति वाली बात राजस्व अभियान में गलत दर्ज की गयी है ओर ना ही अधीनस्थ न्यायालय उक्त आराजियात से कब्जा सम्बन्धित किसी की कोई रिपोर्ट पटवारी से मंगवायी गयी और ना ही अपीलान्ट व उसके भाइयों के उक्त वाद प्रकरण में बयान लिये गये है और ना ही रेस्पो० द्वारा कोई जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे में भी हल्का पटवारी से जानकारी नहीं की कि अपीलान्ट ने उपरोक्त वर्णित आराजियात में से अपने हिस्से की आराजियात में जिसमें अपीलान्ट काबिज काश्त है उसमें ट्यूबवेल आज से करीबन 5–6 साल पूर्व लगा रखा है और कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस भी जमा करवाया हुआ है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट बाहमी बंटवारे अनुसार आराजियात खाता संख्या 350 की कुल 7 किता कुल रकबा 3.79 हेक्टर व खाता संख्या 345 की कुल दो किता की रकबा 0.41 हेक्टर कुल 4.20 हेक्टर में से 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त के अनुसार आराजियात खाता संख्या 350 की कुल 7 किता कुल रकबा 3.79 हेक्टर व खाता नं. 345 की रकबा कुल 0.41 हेक्टर कुल रकबा 4.20 है0 वाके ग्राम दीलोदहाथी के 1/2 हिस्से आराजियात को अपीलान्ट के नाम पृथक से राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर वाद पत्र की मद नं. 1 से 6 में वर्णित वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की भूमि में से अपने हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी अपने खाते दर्ज करने की प्रार्थना की। परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने के कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.01.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार अटरू को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्णय व डिक्री जारी की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.01.2017 की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है इससे यही स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव वादी अपीलांट की उपस्थिति में तैयार किया गया और जिससे वादी अपीलांट सहमत था। तहसीलदार अटरू द्वारा प्रस्तुत एवं वादी अपीलांट द्वारा हस्ताक्षरित इसी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 29.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दीलोदहाथी में तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 29.06.2018 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की।

वादी अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अपने हिस्से अनुसार विभाजन कर खाता पृथक करने की प्रार्थना की। गवाह पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में भी वादी अपीलांट द्वारा शामलाती खाते की आराजी का खाता विभाजन कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी पृथक खाते दर्ज कर शामलाती खाते की आराजी में से स्वयं का हिस्सा पृथक खाते दर्ज करने का कथन किया है। तहसीलदार अटरू द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर भी वादी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जिससे यही स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 वादी अपीलांट की प्रार्थना के अनुसार वादी अपीलांट की उपस्थिति में तैयार हुए बंटवारा प्रस्ताव के अनुरूप होने से हम अपील के इस स्तर पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

माणक चन्द आयु 68 साल पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0))

.... अपीलांट

बनाम

1. रामबल उर्फ रामलाल पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. रामरतन पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. कालू लाल पुत्र श्री मिश्री लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
4. हरिमोहन पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति मीणा, निवासी दिलोद, तहसील छबडा मजरा भैरूपुरा, पो0 सोनी दिलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
5. रामस्वरूप पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति मीणा, निवासी दिलोद, तहसील छबडा मजरा भैरूपुरा, पो0 सोनी दिलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
6. हरनारायण पुत्र श्री नाथूलाल, जाति मीना, निवासी दिलोद, तहसील छबडा मजरा भैरूपुरा, पो0 सोनी दिलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
7. कमला बेवा श्री चुतुर्भज, जाति मीणा, हाल निवासी साल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0) पो0 छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2018/00358**
मु.द.नं0 **139/2012**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **29.06.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **23 माह 10 सन् 2024**

श्री **अरिविन्द सिंह हाडा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20 माह 11 सन् 2024** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)